न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/773

1. धर्मपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी,
2. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी,
3. संतोष देवी पुत्री स्व0 श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी,
   समस्त जातियान माली, निवासीयान मानपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री झाबर पुत्र भूरा,
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री झाबर पुत्र भूरा,
3. हरिराम पुत्र स्व0 श्री झाबर पुत्र भूरा,
4. संज्या देवी पुत्री स्व0 झाबर पुत्र भूरा,
5. संतोष देवी पुत्री स्व0 झाबर पुत्र भूरा,
   समस्त जाति माली, निवासी मानपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
6. पूरण पुत्र जमना पुत्र भूरा जाति माली, निवासी मानपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर।

—रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर निर्णय दिनांक 21.02.2012, अपील संख्या 44/2011 उनवान झाबर बनाम पूरण वगै0 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत महावा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 19.09.1961 ग्राम निमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को अनुचित व अवैध रूप से निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री अजय सैनी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 अनुपस्थित।
4. श्री विनोद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।
5. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 07.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.02.2012 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 के पिता झाबर पुत्र भूरा ने ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 65 पर पारित निर्णय दिनांक 19.09.1961 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 19.09.1961 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि उक्त मृतक भूरा पुत्र भाना कौम माली निवासी मानपुरा की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम भरा जाकर नामान्तकरण फैसल किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 21.02.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट धर्मपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.02.2012 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2012 व अधीन अपील सही तथ्यों, रिकार्ड एवम् न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुददे को सही अर्थो में समझे बिना कतई परवर्स आर्बीटेरी एवम् कोन्टेरी टू लॉ अधीन अपील आदेश पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है इसलिये निर्णय अधीन अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 के हिस्सा 1/2 का अपीलान्ट का पिता गोविन्दराम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज था जिसको अपील में न तो पक्षकार बनाया है ओर ना ही अन्य किसी प्रकार से सूचना एवम सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किया जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 19.9.1961 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का पिता पक्षकार नही था उसने अपील प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय से कोई अनुमति नही ली है ओर ना ही अनुमति लेने हेतु कोई आवेदन पेश किया है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता झाबर द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोम्पीटेन्ट नही थी तथा इसी बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान ना देकर भयंकर कानूनी गलती की है। इसलिये अधीन अपील निर्णय निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता झाबर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अप्रत्याशित विलम्ब 51 साल पश्चात प्रस्तुत की थी जिसमें मियाद के बिन्दु को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में संतोष जनक प्रोपर व रिजनेबल कारण अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किये है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में केवल एक लाइन में डिले कण्डोन आदेश अधीन अपील में पारित किया है अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी वो खारिज ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने भयंकर गलती की है। इसलिये निर्णय अधीन अपील निरस्तनीय है।

प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 हिस्से 1/2 के रिकार्डेड खातेदार प्रकाश पुत्र जमना से भागीरथ पुत्र मुगाराम ने व भागीरथ प्रसाद पुत्र मुगाराम से अपीलार्थी के पिता गोविन्दराम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर क्रेताओं के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज हुई है अपीलान्ट का पिता राजस्व अभिलेखों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार दर्ज था कानूनन उसकी खातेदार राजस्व लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है। नामान्तकरण तस्दीक होने व भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त आराजी के नवीन नम्बर भू प्रबंध कार्य सम्पादित होकर बाई गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बंद हो चुका है जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने तनिक भी ध्यान ना देकर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भयंकर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता झाबर ने हाल खसरा नम्बर 74/2/1, 104, 107, 123, 138/1, 1381/1, 1381/2, 145, 167, 174, 181 के विषय में ही नामान्तकरण संख्या 65 को चुनौति दी है अपीलान्ट्स के पिता गोविन्दराम के नाम से दर्ज साबिक खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 के विषय में चुनौति नही दी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण नामान्तकरण को निरस्त कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स के नाम की खातेदारी को भी निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधीन अपील कतई अवैध व निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता झाबर व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 पूरण से साज व षडयंत्र रच कर आपस में दुरभीसंधी कर अपील पेश करने व उसमें राजीनामा कर निर्णय अधीन अपील अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है जो कतई अवैध व अनुचित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का पिता गोविन्दराम खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 1.07 हेक्टेयर का 1/2 हिस्से का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पक्षकार बनाया है और ना ही अन्य किसी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर दिया है तथा नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 19.09.1961 को निरस्त कर प्रार्थी के नाम की खातेदारी समाप्त कर दी है जिससे अपीलान्ट्स के व उसके पिता के अधिकार प्रभावित हुये है अपीलान्ट्स निर्णय अधीन अपील से एग्रीव्ड पर्सन है जो अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना प्रार्थनीय है।

अपीलान्ट्स को निर्णय अपील की जानकारी सन् 2018 में होने पर अपीलान्ट धर्मपाल के पुत्र द्वारा सक्षम न्यायालय में धारा 156 (3) सीआर पी सी का इस्तगासा अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया। जिस पर न्यायालय के आदेश से एफ आई आर संख्या 251 दिनांक 16.08.2018 पुलिस थाना नीमकाथाना सदर में दर्ज की गई। जिस पर अनुसंधान किया जाकर दिनांक 11.10.2019 को सिविल नेचर का प्रकरण मान कर एफ आर लगा दी गई, जिसकी प्रोटैस्ट पीटीशन न्यायालय में विचाराधीन है उक्त रिपोर्ट वकील से राय लेकर दर्ज करवाई लेकिन उन्होंने अपील करने की कोई राय नही दी तथा फौजदारी प्रकरण ही दर्ज करवाया तत्पश्चात कोविड 19 आ गया अब वकील ने निर्णय अधीन अपील की अपील करने की राय दी है। अपीलान्ट फौजदारी कार्यवाही करने से इसी विश्वास में रहे कि निर्णय अधीन अपील इसी से अपास्त हो जावेगा। अपीलान्ट ग्रामीण परिपेक्ष्य के व्यक्ति है जो कानूनी पेचीदगी से अनभिज्ञ है इसी कानूनी राय नही मिलने से पूर्व अपील पेश नही कर सके है दिनांक 28.11.2022 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अधीन अपील के लिये आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर नकल दिनांक 29.11.2022 को दी गई तथा कानूनी राय लेकर ये अपील न्यायालय के समक्ष अविलम्ब पेश की जा रही है। विलम्ब अन्य कानूनी कार्यवाही करने कोविड 2019 होने व सही राय नही मिलने से हुआ है जो माफ किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पिता प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है अपीलान्ट के पिता सदभावी क्रेता है जिसके नाम विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.02.2012 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर अपील संख्या 44/2011 उनवान झाबर बनाम पूरण वगेरा जिसके द्वारा निर्णय दिनांक 21.2.2012 पारित कर ग्राम पंचायत महावा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण संख्या 65 दिनांक 19.9.1961 ग्राम निमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, के सम्बन्ध में पारित निर्णय को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करके दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 65 ग्राम पंचायत महावा तहसील नीमकाथाना दिनांक 19.09.1961 की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 74/2/1 रकबा 3.15 हैं0, खसरा नं. 104 रकबा 0.63 है0, खसरा नं. 107 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 123 रकबा 1.43 है0, खसरा नं. 138/1 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 138 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 145 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 167 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 174 रकबा 0.71 है0, खसरा नं. 181 रकबा 0.83 है0 वाकै ग्राम निमोद, तहसील नीमकाथाना में स्थित है उक्त खसरा नम्बरों में रेस्पोडेन्टगणों का हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्टगणों के पूर्वज व प्रार्थी अपीलान्ट के पिता भूरा की खातेदारी में थी तथा प्रार्थी अपीलान्ट के पिता भूरा के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पूरण व उसके पिता जमना के नाम भरकर फैसला कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता जमना एवं प्रार्थी/अपीलान्ट सगे भाई थे तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का हिस्सा 1/4 काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः नामान्तकरण जैर अपील निम्न आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में खारिज करने का निवेदन किया गया। यह बात सत्य थी की भूरा के जमना व झाबर प्रार्थी/अपीलान्ट दो सगे भाई थे और उक्त आराजीयात पर भूरा कब्जा काश्त करता था और भूरा के फोत होने के पश्चात उक्त भूमि गलत तरीके से नामान्तकरण संख्या 65 ग्राम पंचायत महावा तहसील नीमकाथाना दिनांक 19.09.1961 गलत दर्ज हो गया जिस पर हम सभी परिवारजनों ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष एक राजीनामा भी दिनांक 03.11.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया था जो श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 21.02.2012 को पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इसलिये अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी अपीलान्ट ने अपनी अपील में कहीं पर भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं बतायी गयी और स्वयं इस बात को भी जानते है कि भूरा के जो वारिसान है उनके समान रूप से नामान्तकरण खुलना चाहिये था जो नहीं खुल सका, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 21.02.2012 को पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इसलिये अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील तथ्यों को छुपाते हुये पेश कि गयी है और उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रार्थी/अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई भी क्षति कारित नही हुयी है मात्र रेस्पोडेन्टगणों को परेशान करने की नियत से उक्त अपील प्रस्तुत कि गयी है इसलिये प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 21.02.2012 को पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नही की गयी है इसलिये प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है एवं उक्त अपील को भी खारिज किया जावे। प्रार्थी/अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पूर्व से है एवं यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं बताया गया की अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.02.2012 की जानकारी किस प्रकार से हुयी और अपील पेश करने में देरी का क्या कारण है जबकि उक्त अपील 10 वर्षो पश्चात पेश कि गयी है उक्त विलम्ब न्यायहित में किसी भी सूरत में क्षमा किये जाने योग्य नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध नामान्तकरण को खारिज किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नही की गयी है इसलिये प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को एवं जानकारी को छुपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 21.02.2012 को पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इसलिये अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना आवश्यक है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी के भी पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त नामान्तकरण उनके पुत्र व पुत्रीयों व पत्नियों के नाम से ही खुलता है अगर कोई भी व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर नामान्तकरण खुलवाता है तो वह विधि विरूद्ध माना जाता है और अधीनस्थ न्यायालय ने भी विधि अनुसार जो आदेश दिनांक 21.02.2012 को विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है और प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये यह अपील प्रस्तुत कि गयी है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2012 अपील संख्या 44/2011 उनवानी झाबरमल बनाम पूरण में पारित आदेश विधि सम्मत था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही कारित की गयी इसलिये प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से ख़ारिज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

9. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सन् 2018 में होने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष झाबर पुत्र भूरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 65 ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना दिनांक 19.09.1961 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 19.09.1961 ग्राम पंचायत महावा तहसील नीमकाथाना निरस्त कर तहसीलदार नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये हैं कि उक्त मृतक भूरा पुत्र भाना कौम माली निवासी मानपुरा की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम भरा जाकर नामान्तरकरण फैसल करने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से कहीं भी प्रार्थीगण की विरासत स्पष्ट नहीं हो रही है। जब प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार ही नहीं है, तो उन्हें सुनवाई की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कई तथ्य अपनी अपील/बहस में उठाये गये हैं, जो इस न्यायालय व अपील से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती जब तक कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आता है तब तक कोई भी बात मानने योग्य नहीं है। अपीलांट का कोई Locus standie होना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकट नहीं होता" है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 के पिता झाबर पुत्र भूरा ने ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 65 पर पारित निर्णय दिनांक 19.09.1961 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 19.09.1961 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि उक्त मृतक भूरा पुत्र भाना कौम माली निवासी मानपुरा की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम भरा जाकर नामान्तकरण फैसल किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित किये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2012 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2012 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर